तहसील औसिया जिला जोधपुर ।

उपस्थित
1 श्री चन्दनसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से ।
2 अप्रार्थीगण की तरफ से कोई उपस्थित नही ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए, आर.टी.एक्ट.

– निर्णय – **दिनाक – 3.3.2021**

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील औसिया के ग्राम हनुमान नगर की सरहद मे स्थित खसरा नम्बर 1053/1 रकबा 32 बीघा 12 बीस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है। नजरी नक्शा साथ मे पेश है जो प्रार्थना पत्र का भाग व अंग समझा जावे। उपरोक्त वर्णित खसरा की भूमि के उतरी तरफ खसरा नम्बर 1053/2 रकबा 35 बीघा 15 बीस्वा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 के नाम की खातेदारी की व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है जिसके उतरी तरफ खसरा नम्बर 1053 रकबा 26 बीघा 5 बीस्वा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 से 12 की खातेदारी भूमि आई हुई है जिसके आगे उतरी तरफ सामराउ से भाखरी जाने वाली डामर सडक है । उपरोक्त वर्णित प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मे आने जाने हेतू सामराउ से भाखरी जाने वाली डामर सडक से अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य मे से कदीमी रास्ता चलता है जिसे नजरी नक्शे मे मार्क **ए** से **बी** दर्शाया गया है इसके अलावा प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने के लिए दुसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नही है । अप्रार्थीगण ने हाल ही मे उक्त रास्ते को अवरूद्ध व बन्द करने पर आमादा है ।प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को उक्त रास्ता राजस्व रेकर्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा किन्तु उक्त रास्ते का मामला पारस्परिक सहमती से तय नही हुआ इसलिए प्रार्थीगण न्यायालय हाजा मे उक्त रास्ता तय करने एवं राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज करवाने हेतू यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है कि प्रार्थीगण को उक्त रास्ता सामराउ से भाखरी जाने वाली डामर सडक से अप्रार्थीगण की भूमि के अन्दर तीन गट्ठा चोडा रास्ता प्रार्थीगण की भूमि तक तय किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किया जावे । वर्तमान मे प्रार्थीगण की भूमि मे आने जाने के लिए जो कदीमी रास्ता चलता है वह रास्ता अप्रार्थीगण की भूमि के मध्य मे से चलता है यदि अप्रार्थीगण अपनी सुविधा के अनुसार अपनी भूमि के पूर्वी सीमा पर देना चाहे तो भी प्रार्थीगण रास्ता लेने के लिए तैयार है । प्रार्थीगण विधि अनुसार एवं डी.एल.सी. की असिंचित भूमि की दर के अनुसार रास्ते

सहायक कलक्टर, ओसिया

Scanned with CamScanner

भूमि का प्रतिकर न्यायालय हाजा द्वारा अवधारित करने पर अदा करने के लिए ार है । अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि असिंचित है। प्रार्थीगण को उक्त रास्ते आत्यंतिक आवश्यकता है एवं नजरी नक्शे मे दर्शाया गया रास्ता लघुतम् एवं कटतम् रास्ता है । अन्त मे प्रार्थी ने निवेदन किया कि न्यायहित मे सामराउ से खरी जाने वाली डामर सडक से उपरोक्त वर्णित खातेदारी भूमि मे प्रार्थीगण के ने जाने हेतू रास्ता अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1053/2 व 1053 मे से जरी नक्शे मे दर्शाए गये लाल रंग से मार्क ए से बी तक तीन गट्ठा चोडा रास्ता ंजूर किया जाकर राजस्व रेकर्ड मे रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को ोटिश जारी किये गये बाद तामील अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 की तरफ से घेवरराम ेश्नोई अधिवक्ता द्वारा वकालात नामा पेश किया गया । जिसने अपने जबाब मे ाप्रार्थी सख्या 1 से 4 की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि मे से प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नही रहा न ही आज दिन भोतिक रूप से रास्ता चल रहा है । ार्थीगण की खातेदारी भूमि के पूर्वी तरफ करीब 100 मीटर पर एक कटाणी रास्ता उपलब्ध है जो ग्राम सामराउ से भाखरी के बीच चलता है उसी रास्ते से एक रास्ता अलग होकर प्रार्थीगण की खातेदारी भमि तक आता है वही से प्रार्थीगण लगातार आवागमन करते है । कटाणी रास्ते व प्रार्थीगण की भूमि के मध्य प्रार्थीगण की भूमि ही है । प्रार्थीगण ने जानबूझकर उक्त वेकल्पिक रास्ते का उल्लेख नही किया है । प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे वास्तविक तथ्यो को छुपा कर बनावटी तथ्यो के आधार पर यह झुठा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हे । प्रार्थीगण की भूमि के मध्य मे से होकर प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नही रहा । प्रार्थीगण के नजरी नक्शे के अनुसार मार्क ऐ से बी किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है । पूर्व दिशा मे एक वेकल्पिक रास्ता विद्यमान है । अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 ने इंकबाली जबाब पेश करते हुए कहा है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मे आने जाने हेतु खसरा नम्बर 1053/2 व 1053 मे से नजरी नक्शे मे दर्शाए अनुसार मार्क ए से बी तक तीन गट्ठा चोडा रास्ता मंन्जुर किया जाता है तो अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 को कोई आपत्ती नही है । जिस पर इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया था जिसकी अपील अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर मे की गई जिसे आंशिक रूप से स्वीकार कर माननीय न्यायालय ने इस न्यायालय के पूर्व आदेश दिंनाक 11.7.2016 को अपास्त करते हुए इस निर्देश

सहायक कलेक्टर, बोथिया

Scanned with CamScanner

के साथ इस प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया कि वादग्रस्त खसरान की नक्शे मे तरमीम करवाई जावे उसके पश्चात नियम 69 के अनुसार पुनः मौका रिपोर्ट ली जावे तथा प्रभावित पक्षकारो को सुनकर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करे । माफिक निर्णय व निर्देश के हल्का पटवारी से उक्त खसरान की तरमीम करवाई जाकर पुनः मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई पत्रावली व दोनो रिपोर्ट का अवलोकन किया गया आर.आई. की द्वितीय मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1053 व 1053/2 मे ए से बी तीन गट्टा चोडा रास्ता सडक से खसरा नम्बर 1053/1 की सीमा तक स्वीकृत व घोषित किया जाता है । नियमानुसान डी.एल.सी. की दर से दो गुनी राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर अप्रार्थीगण को उपलब्ध कराई जावे । आदेश की पालना हेतु तहसीलदार औसिया को तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर दाखिल दप्तर हो ।

सहायक कलेक्टर, ओसियां।

आदेश आज दिंनाक 03.03.2021.को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर ,ओसिया।

Scanned with CamScanner